राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः पं.12(25)वित्त/कर/2024-77 दिनांकः 27-06-2024

—:आदेश:—

वाणिज्यिक कर विभाग में GST संबंधी कार्यों के प्रशासन में चरणबद्ध रूप से Faceless Management की व्यवस्था

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने अपने वित्तीय वर्ष 2024—25 के बजट भाषण में निम्न घोषणा की हैः— **बिंदु संख्या— 60 (VI)**

"स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धान्त की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से ***Faceless Management*** की व्यवस्था की जायेगी।

इस दृष्टि से प्रदेश में ***Online Integrated Tax Management, Integrated Excise Management System*** तथा जन—आधार ***wallet*** को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जायेगा।"

वाणिज्यिक कर विभाग में माल एवं सेवा कर के संबंध में प्रशासनिक क्षेत्रवार करदाताओं के समान वितरण, कार्मिकों के कार्यभार का में संतुलन, कार्य—विभाजन में समुचित एवं समानुपतिक कार्य विभाजन; पदगत रिक्तियों, दीर्घकालिक अवकाशों और अन्य प्रशासनिक कारकों से कार्य निष्पादन व्यवधान न आने व तटस्थ एवं निष्पक्ष कार्य संबंधी वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नवीन फेसलेस/रैण्डमाइज्ड व्यवस्था लागू की जाती है। इसमें वर्तमान स्तर पर जीएसटी से जुड़े मुख्यतः 5 प्रकार के कार्यों हेतु नवीन फेसलेस/रैण्डमाइज्ड व्यवस्था के क्रियान्वयन किया जायेगा, जिसे GSTN की कार्यक्षमता के साथ सामंजस्य एवं तारतम्य (synchronized) स्थापित कर लागू किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

कसं	कार्य	प्रकिया
1	स्क्रूटनी	कंप्यूटर से रैंडम आधार पर इन कार्यो का वितरण, जिसमें किसी भी क्षेत्राधिकार के अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार का कार्य नहीं दिया जाएगा। समस्त कार्यभार में कुल निर्धारित अधिकारियों की संख्या का भाग देकर औसत अनुसार कार्य दिया जाएगा। प्रथमतः पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर स्थित चारों संभागों **(Zones)** व जोधपुर के दो संभागों **(Zones)** में स्क्रूटनी का कार्य रैण्डम रूप से वितरित करते हुये इस फेसलेस/रैण्डमाइज्ड व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा।
2	बिजनेस ऑडिट	
3	प्रवर्तन	यदि कहीं **प्रवर्तन** की कार्यवाही की जाती है, तो जिस अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाये, आगे उसमें सुनवाई करने एवं निर्णय करने का अधिकार रैण्डमाइज्ड रूप में किसी अन्य अधिकारी को

		दिया जाये। इसमें प्रथमतः प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) से संबंधित कार्यवाही में शो–कॉज नोटिस जारी करने के बाद एड्ज्यूडिकेशन के लिये किसी अन्य अधिकारी को प्रकरण स्थानान्तरित किया जायेगा।
4	अपील	ऑनलाइन सुनवाई या वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था सुदृढ की जाएगी।
5	रिफंड	इनमें Excess Payment in Cash Ledger श्रेणी के प्रकरणों को रैण्डमाइज्ड कर क्षेत्राधिकार से बाहर के अधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

फेसलेस/रैण्डमाइज्ड कर--प्रशासन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. समस्त कार्यभार में कुल निर्धारित अधिकारियों की संख्या का भाग देकर औसत निकाला जाएगा।
2. इस औसत के अनुसार सभी निर्धारित अधिकारियों को चिह्नित कार्य सीमा निर्धारित की जाएगी।
3. तदुपरांत चिह्नित कार्य वितरण की प्रक्रिया कंप्यूटर से कार्य के यादृच्छिक (Randomized) आधार पर की जाएगी।
4. रैंडमाइजेशन में किसी भी क्षेत्राधिकार के अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार का कार्य नहीं दिया जाएगा।
5. यह व्यवस्था सर्वप्रथम केवल चयनित कार्यों व क्षेत्रों के लिए की जाएगी। इसमें पहले जिले के भीतर यह लागू किया जाएगा। फिर संभाग व पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
6. यदि किसी अधिकारी के पास क्षेत्राधिकार आधारित दोहरा चार्ज है, तो उसे एक अधिकारी मानते हुए उसका औसत निर्धारित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई कार्मिक दीर्घ अवकाश या अन्य दायित्व पर है, तो उसके अवकाश काल में उसका कार्य समस्त पूल में रखा जाकर नवीन औसत निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।
7. प्रकरणों के चयन हेतु वर्तमान में प्रचलित विश्लेषण व्यवस्था के अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी, परंतु कालांतर में यह चयन एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल आधारित स्वचालित चयन प्रणाली द्वारा किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में जोखिम कारकों और विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग व्यावसायिक परिदृश्य ––दोनों पर विचार उपरांत करदाताओं का जांच के लिए चयन किया जायेगा, जिससे अधिक तर्कसंगत प्रकरण चयन व कार्य आवंटन किया जा सके।
8. विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु करदाताओं या प्रकरणों के चयन के लिए जिस प्रकार अधिक व्यापक और मानकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसी प्रकार

अधिकारियों के भी व्यावसायिक सेक्टर अनुसार विशेषज्ञता के संवर्धन व निर्धारण की आवश्यकता होगी। इसलिए एक बार फेसलेस/रैण्डमाइज्ड कर–प्रशासन की प्रकिया के समुचित संचालन के उपरांत व्यावसायिक सेक्टर अनुसार रैण्डमाइज्ड कर–प्रशासन की व्यवस्था अपनायी जा सकेगी, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों की स्क्रूटनी, बिजनेस ऑडिट, एंटी इवेजन, रिफण्ड या अपील का कार्य कुछ व्यावसायिक सेक्टर अनुसार विशेषज्ञता के बीच रैण्डमाइज्ड कर दिया जा सके।

संपूर्ण व्यवस्था में यह भी प्रस्तावित है कि सम्पूर्ण कार्य हेतु **नवीन सॉफ्टवेयर** का निर्माण किया जाए। इसके लिए अनेक सुविधाएं नवप्रस्तावित ITMS में विकसित की जाएंगी। इस हेतु भी यथा शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

नए पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिर होने से पहले का संक्रमण काल कर–प्रशासन एवं करदाता दोनों पक्षों के लिए सीखने और प्रयोग करने का होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और परिशोधन दोनों की आवश्यकता होगी। इस बदलाव के लिए करदाताओं और विभाग दोनों द्वारा महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए वर्तमान स्तर पर प्रथम चरण में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर स्थित चारों संभागों **(Zones)** व जोधपुर के दो संभागों **(Zones)** में स्क्रूटनी का कार्य रैण्डम रूप से वितरित करते हुये इस फेसलेस/रैण्डमाइज्ड व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा।

इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही (प्रशासनिक, तकनीकी व विधिक) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जायेगी।

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (कर)